प्रेस विज्ञप्ति
25.08.2026

गोवा "डिजिटल अरेस्ट" मामले में ईडी ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया; आरोपी ईडी की हिरासत में भेजे गए, नेटवर्क ने लाइसेंसधारी मनी चेंजर के माध्यम से साइबर धोखाधड़ी की धनराशि को नकदी और फिर विदेशी मुद्रा में परिवर्तित किया; इसके साइबर खातों के 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 163 एफआईआर से जुड़े होने के साक्ष्य

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), पणजी आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 19 के अंतर्गत 23.08.2026 को फहीम मोइन हुसैन सैयद और नईम मुईन सैयद को गिरफ्तार किया है। दोनों को 24.08.2026 को गोवा स्थित माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा उन्हें 29.08.2026 तक पांच दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया गया है।

यह जांच उत्तर गोवा के साइबर अपराध पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज एफआईआर से संबंधित है, जिसमें गोवा की एक निवासी को "डिजिटल अरेस्ट" नामक धोखाधड़ी का शिकार बनाया गया। उसे यह विश्वास दिलाया गया कि वह जांच के दायरे में है, वीडियो कॉल के माध्यम से उस पर लगातार निगरानी रखी गई और इस प्रकार उसे 21.05.2025 से 02.06.2025 के बीच 2,60,33,634/- रुपये तथाकथित "गुप्त पर्यवेक्षण खातों" में स्थानांतरित करने के लिए मजबूर किया गया।

जांच में सामने आया है कि पीड़िता की धनराशि उन लोगों तक ही सीमित नहीं रही, जिन्होंने उसके साथ धोखाधड़ी की थी। यह एक ऐसे संगठित तंत्र में पहुंची, जिसका एकमात्र उद्देश्य साइबर धोखाधड़ी से प्राप्त धनराशि को, जो सामान्य बैंकिंग क्रेडिट के रूप में प्राप्त हुई थी, पहले नकदी और उसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक से पूर्ण रूप से कार्यरत मनी चेंजर (फुली फुल्ड्ज्ड मनी चेंजर्स) का लाइसेंस रखने वाली कंपनियों के माध्यम से विदेशी मुद्रा में परिवर्तित करना था।

पीड़िता की धनराशि कुछ ही घंटों के भीतर निष्क्रिय और नए खोले गए बैंक खातों की पहली लेयर के माध्यम से स्थानांतरित की गई और इसके बाद ट्रांसफर, नकद निकासी, सेल्फ-चेक तथा भुगतान गेटवे के माध्यम से 400 से अधिक लाभार्थी खातों में विभाजित की गई। इसके बाद धनराशि का ट्रेल कमोडिटी, ट्रेडिंग, ट्रैवल और विदेशी मुद्रा से संबंधित संस्थाओं के एक आपस में जुड़े समूह तक पहुंचा।

इन संस्थाओं ने मिलकर 27,850 करोड़ रुपये से अधिक के बैंकिंग लेन-देन किए हैं तथा लगभग 2,904 करोड़ रुपये नकद जमा किए हैं, जिसमें से 584.70 करोड़ रुपये बड़ी संख्या में स्थानों पर स्थित "बल्क नोट एक्सेप्टेंस मशीनों" के माध्यम से 61,448 अलग-अलग लेन-देन में जमा किए गए। नकदी के प्रबंधन का यह पैमाना और तरीका किसी सामान्य व्यवसाय की गतिविधियों से पूरी तरह असंगत है।

जांच में यह स्थापित हुआ है कि इन संस्थाओं के बैंक खाते 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 330 पीड़ित शिकायतों और 163 प्रथम सूचना रिपोर्टों (एफआईआर) से जुड़े हैं, जिनमें कुल 417.49 करोड़ रुपये की कथित हानि शामिल है। इनमें से 101 शिकायतों में एक ही पीड़ित

की धनराशि एक ही धोखाधड़ी के दौरान उसी समूह की दो या अधिक संस्थाओं में भेजी गई, जिससे यह स्थापित होता है कि ये खाते अलग-अलग व्यवसायों के रूप में नहीं, बल्कि एक साझा पूल के रूप में संचालित हो रहे थे।

जांच में आगे यह भी सामने आया है कि जिन कंपनियों के माध्यम से अपराध से अर्जित आय को भेजा गया, वे अत्यंत साधारण आर्थिक स्थिति वाले व्यक्तियों के नाम पर पंजीकृत थीं– जिनमें कर्मचारी, ड्राइवर और एक कमरे के मकानों में रहने वाले व्यक्ति शामिल हैं–और रिकॉर्ड में इन्हें निदेशक के रूप में दर्शाया गया था, जबकि इन कंपनियों के बैंक खातों तथा इनके मामलों का नियंत्रण अन्य व्यक्तियों के पास था।

पीएमएलए की धारा 17 के अंतर्गत 17.07.2026 को मुंबई और गोवा में 20 परिसरों तथा 21.08.2026 को अतिरिक्त परिसरों में तलाशी ली गई। 3.25 करोड़ रुपये की नकदी जब्त की गई है तथा 30 करोड़ रुपये से अधिक शेष राशि वाले सिंडिकेट के खातों को फ्रीज किया गया है। इसके अलावा डिजिटल उपकरण, लेखा-बही, रिकॉर्ड और वैधानिक रजिस्टर भी जब्त किए गए हैं, जिनकी जांच की जा रही है।

निदेशालय इस अवसर पर आम जनता को पुनः सावधान करता है। भारत में कोई भी जांच एजेंसी या कानून प्रवर्तन एजेंसी किसी व्यक्ति को "डिजिटल अरेस्ट" नहीं करती, वीडियो कॉल के माध्यम से जांच नहीं करती और न ही किसी व्यक्ति से "सत्यापन" या "पर्यवेक्षण" के लिए किसी खाते में धनराशि स्थानांतरित करने को कहती है। ऐसी कोई भी मांग धोखाधड़ी है। ऐसे किसी कॉल की प्राप्ति पर नागरिकों को कॉल काट देना चाहिए और तुरंत राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन **1930** पर या **www.cybercrime.gov.in** पर मामले की सूचना देनी चाहिए।

मामले में आगे की जांच जारी है।